भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4628
दिनांक 21 अगस्त, 2025

एनजीडी के अंतर्गत स्मार्ट मीटर और डिजिटल निगरानी प्रणाली की स्थापना

†4628. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का वर्तमान प्रतिशत कितना है और वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत के लक्ष्य को बढ़ाने/प्राप्त करने की दिशा में सरकार की रणनीति और पहल क्या हैं और उक्त संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;
(ख) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या चुनौतियाँ आने की संभावना है और उनके समाधान के लिए क्या समाधान प्रस्तावित हैं;
(ग) प्राकृतिक गैस के उपयोग के विस्तार से देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता पर अनुमानित प्रभाव क्या होगा;
(घ) राष्ट्रीय गैस वितरण (एनजीडी) के अंतर्गत राज्य-वार कितने स्मार्ट मीटर और डिजिटल निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी गैस कीमतों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 7.0% (अनंतिम) की थी। सरकार ने ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय गैस ग्रिड पाइपलाइन का विस्तार, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का

विस्तार, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों की स्थापना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (परिवहन)/पाइप्ड प्राकृतिक गैस (घरेलू) सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) को प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस का आवंटन, उच्च दाब/उच्च ताप वाले क्षेत्रों, गहरे समुद्र और अति-गहरे समुद्र तथा कोयला सीम्स से उत्पादित गैस के लिए अधिकतम मूल्य के साथ विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता की अनुमति देना, संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल आदि शामिल हैं।

प्राकृतिक गैस की खपत, वैकल्पिक ईंधनों की तुलना में इसके मूल्यों तथा पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों सहित देश भर में संबंधित ईंधन के परिवहन से जुड़ी लागत से प्रभावित होती है। गैस के मूल्य घरेलू उत्पादन, अंतरर्राष्ट्रीय उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। उच्च स्थानीय उत्पादन से अतिरिक्त आयात की आवश्यकता समाप्त होती है। सरकार ने घरेलू गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन साझेदारी व्यवस्था से राजस्व साझेदारी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए अन्वेषण रकबे प्रदान करने हेतु हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) को अधिसूचित किया है। सरकार ने 28 फरवरी 2019 को नीतिगत सुधारों को अधिसूचित किया, जिसमें "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने के लिए कई प्रक्रियाओं और अनुमोदनों को शिथिल किया, अप्रत्याशित लाभ को छोड़कर श्रेणी II और III प्रकार के बेसिनों से राजस्व हिस्सेदारी को हटा दिया गया, गहरे और अति-गहरे ब्लॉकों के लिए 7 साल का रॉयल्टी हॉलिडे, गहरे समुद्री और अति-गहरे समुद्री ब्लॉकों के लिए रियायती रॉयल्टी दरें, तथा प्राकृतिक गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता के साथ-साथ क्षेत्रों के प्रारंभिक मौद्रीकरण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

प्राकृतिक गैस की खपत न केवल पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाती है, क्योंकि प्राकृतिक गैस अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्वच्छ और कम उत्सर्जन वाला ईंधन है, बल्कि यह (i) देश को अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने और आयातित तेल तथा कोयले पर निर्भरता कम करने और (ii) अंतरर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता के प्रति अपनी भेद्यता को कम करने की अनुमति देकर ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

(घ) राष्ट्रीय गैस वितरण के लिए स्थापित स्मार्ट मीटरों और डिजिटल निगरानी प्रणालियों की संख्या का डेटा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। हालाँकि, प्राधिकृत कंपनियां पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर ऐसी किसी तंत्र को लागू करती हैं। उदाहरण के तौर पर, सटीक मीटरिंग सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख गैस पाइपलाइन प्रचालक अल्ट्रासोनिक मीटर, टर्बाइन मीटर और रोटरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर जैसे उन्नत माप तंत्र स्थापित करते हैं। इन्हें डिजिटल फ्लो कंप्यूटर और गैस क्रोमैटोग्राफ के साथ एकीकृत किया जाता है। ये सभी मीटरिंग घटक केंद्रीकृत एससीएडीए (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) तंत्र के साथ एकीकृत होते हैं, जिससे वास्तविक समय की डिजिटल निगरानी, कुशल पाइपलाइन हाइड्रोलिक्स प्रबंधन तथा स्वचालित इन्वाइसिंग-प्रक्रिया संभव होती है।

(ङ) सरकार, उपभोक्ताओं को (सीजीडी के पीएनजी(डी) खंड में) प्रतिस्पर्धी गैस मूल्य उपलब्ध कराने के प्रयास के साथ, प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस आवंटित कर रही है, जिसका मूल्य, ओएनजीसी/ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस हेतु दिनांक 07.04.2023 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जहां उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी) मूल्यों के लिए सरकारी अनुमोदन प्रदान करता है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, ऐसी किसी प्राकृतिक गैस के मूल्य भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत के 10% के रूप में निर्धारित किए जाते है और मासिक आधार पर अधिसूचित किए जाते हैं। ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा अपने नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए, एपीएम मूल्य $4.0/मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) की न्यूनतम और $6.5/एमएमबीटीयू की अधिकतम सीमा के अधीन है। यह सीमा अगले दो वित्त वर्षों (2023-24 और 2024-25) तक बनी रहेगी और फिर हर साल 0.25 डॉलर/एमएमबीटीयू की दर से बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 07.04.2023 की अधिसूचना के माध्यम से, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड के नामांकित क्षेत्रों से नए कूपों और उनके कूपों संबंधी उपायों से उत्पादित गैस पर प्रशासित मूल्य व्यवस्था के मूल्यों पर 20% का प्रीमियम भी दिया है। इससे उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता आई है।

*****